

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक एफ-5 (माडा)एसीटीएडी/राजसमंद सम्पर्क सडक/2015-16/

दिनांक 5/3/2019

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ),
राजसमंद।

11274

विषय : सी.सी. सडक निर्माण कार्यो की वित्तीय स्वीकृति।
प्रसंग : प्रशासनिक स्वीकृति पत्रांक 2516 दिनांक 22.01.2016
संदर्भ : विभागीय पत्र क्रमांक 10681-84 दिनांक 26.02.2019

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक जारी प्रशासनिक स्वीकृति एवं संदर्भित पत्र के क्रम में विकास अधिकारी, पंचायत समिति राजसमंद के पत्रांक 718 दिनांक 01.03.2019 द्वारा निम्नलिखित सी.सी. सडक निर्माण कार्यो की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने से निम्नलिखित तालिका के कॉलम संख्या-5 में वर्णित राशि के अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है-

कार्यकारी एजेन्सी-ग्राम पंचायत

(राशि लाखों में)

क्र.स.	कार्य का नाम	पं.स.	तकनीकी स्वीकृति		प्रथम किरत देय राशि
			क्र/दि.	राशि	
1	2	3	4	5	6
1	वेणा भील के मकान से गंगाराम भील के मकान तक ग्राम अमलोई, ग्रा. पं.राज्यावास	राजसमंद	1198/ 26.2.19	8.00	6.40
2	भंवरलाल भील के मकान से कालु भील के मकान तक ग्राम अमलोई, ग्रा. पं.राज्यावास	राजसमंद	1199/ 26.2.19	1.00	0.80
3	शंकर भील के मकान से कैलाश भील के मकान तक ग्राम अमलोई, ग्रा. पं.राज्यावास	राजसमंद	1200/ 26.2.19	1.00	0.80
4	नारायण भील के मकान से गाढू भील के मकान तक ग्राम अमलोई ग्रा. पं.राज्यावास	राजसमंद	1201/ 26.2.19	2.00	1.60
			योग	12.00	9.60

उपरोक्त कार्यो पर राशि के व्यय हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता पूंजीगत मद अन्तर्गत आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में अन्य जिलो से प्राप्त अनटाईड बचत राशि 53.89 लाख में से (80 प्रतिशत) 9.60 लाख रु. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राजसमंद को हस्तान्तरित होगी। शेष राशि आगामी वित्तीय वर्ष में कार्यो की प्रगति के आधार पर देय होगी।

कार्यो के संपादन मे निम्नलिखित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे-

- यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरे व्यय के लिए संबंधित पंचायत समिति एवं कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
- कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तो के अनुसार कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावे।
- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।

५/३/१९

5. जिला परिषद द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यकारी एजेन्सी को राशि हस्तांतरित की जाएगी एवं कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र समायोजित कर इस कार्यालय को प्रेषित किए जाएंगे।

भवदीय
(भवानी सिंह देथा) I.A.S
आयुक्त

क्र. एफ-5 (माडा)एसीटीएडी/राजसमंद सम्पर्क सडक/2015-16/11274-82 दि. 5/3/2019
प्रतिलिपी :-सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. विशिष्ट सहायक, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, राजसमंद ।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि विशेष केन्द्रीय सहायता पूंजीगत मद अन्तर्गत आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में अन्य जिलो से प्राप्त अनटाईड बचत राशि 53.89 लाख में से (80 प्रतिशत) 9.60 लाख मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राजसमंद को हस्तान्तरित करे।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजसमंद ।
6. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
7. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
8. गार्ड फाईल।

आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)